न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **91/2019**
GCMS NO. : **2019/00069**

–: वादीगण:–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. पूनाराम पुत्र भंवरलाल 2. बीजाराम पुत्र भंवरलाल जातियान– कुम्हार, निवासीगण– लितरिया, तहसील– जैतारण जिला– पाली(राज0)		1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.10/05/2019**

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 25/02/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज में खसरा संख्या 710 रकबा 25–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल ख0नं0 717 रकबा 0–01 बीघा गै0मु0 बेरा, ख0नं0 705 रकबा 9–03 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 706 रकबा 5–12 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 715 रकबा 46–17 बीघा किस्म चाही प्रथम ख0नं0 718 रकबा 38–05 बीघा किस्म चाही प्रथम, ख0नं0 702 रकबा 12–16 बीघा किस्म बरानी दोयम व सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 166 रकबा 11–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल ख0नं0 158 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि आई हुई है जिसमे वादीगण अपने हक हिस्से व बंट अनुसार मौके पर काबिज कास्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है। उक्त विवादित आराजी मे वादी संख्या एक का नाम मानवीय भूल व सहवन से मनफूल दर्ज हो गया है तथा वादी संख्या दो का नाम बीजा दर्ज हो गया है जो गलत है, जबकि वादी संख्या एक का सही व वास्तविक नाम, पूनाराम है व वादी संख्या दो का सही व वास्तविक नाम बीजाराम है, जो उनके आधार कार्ड, पहचान कार्ड, पैनकार्ड, परिवार कार्ड [illegible] दर्ज है जिनकी प्रतिया वादपत्र के साथ संलग्न है। जिन्हे वादपत्र [illegible] वादीगण को अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता होने पर [illegible] ने पटवारी हल्का से राजस्व रेकर्ड देखा तो उसे इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक [illegible]3.05.2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्टी को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध मे वादीगण अपनी कृषि भूमि मे उक्त रोंग एन्टी एवं रेकर्ड दुरूस्त करवाने की अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत्घोषणा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादीगण का नाम जो राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड मे अपने सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम दर्ज एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादीगण होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादीगण को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेसानियो का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरकसरकारी योजनाओ से फायदा नही उठा पा रहा है न ही ऋण आदि व किसानकार्ड बन रहा है जिस पर सहखातेदारो से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरूस्त करवाने तक विवाद आदि न करने का दिनांक 03.05.2019 को कथन किया, इसलिए सहखातेदारो के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है। प्रतिवादी संख्या एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है जो घोषणा के वादपत्र में आवश्यक व प्रोपर पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 03.05.2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्टी हटाने का एलानिया कथन करने पर बमुकाम निम्बोल व लितरिया तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकाकर एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण की ओर रिपोर्ट पेश की गई जो सा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./19/5888 दिनांक 25.11.2019 में कथन किया कि ग्राम निम्बोल के खसरा संख्या 710 रकबा 25-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल ख0नं0 717 रकबा 0-01 बीघा गै0मु0 बेरा, ख0नं0 705 रकबा 9-03 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 706 रकबा 5-12 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 715 रकबा 46-17 बीघा किस्म चाही प्रथम ख0नं0 718 रकबा 38-05 बीघा किस्म चाही प्रथम, ख0नं0 702 रकबा 12-16 बीघा तथा लितरिया के खसरा नम्बर 166 रकबा 11-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल ख0नं0 158 रकबा 13 बीघा में मनफूल पुत्र भंवरलाल व बीजा पुत्र भंवरलाल कौम कुम्हार निवासी लितरिया सहखातेदार के रूप में दर्ज है। ग्राम निम्बोल में नामान्तरण संख्या 1634/24.03.1998 द्वारा भंवरलाल पुत्र बस्ताराम फौत के स्थान पर मनफूल गणपत, छोटू देवा, सुरेश, सोभा, बीजा पि0 भंवरलाल दर्ज हुआ तथा ग्राम लितरिया में नामान्तरण के द्वारा भंवरलाल पुत्र बस्ताराम(फौत) के स्थान पर मनफूल गणपत, छोटू, देवा, सुरेश, सोभा, बीजा पि0 भंवरलाल दर्ज हुआ जो सही है। पद संख्या 03 को साबित करनें का भार वादी पर है। पद संख्या 04 अस्वीकार है। वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में विरासत के नामान्तरण द्वारा दर्ज हुआ हैं जो सही है। पद संख्या 6 स्वीकार है तथा पद संख्या 7 अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:59 IST
Reason: SelfAttested

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पक्ष [illegible] किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज में खसरा संख्या 710 रकबा 25-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल ख0नं0 717 रकबा 0-01 बीघा गै0मु0 बेरा,

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ख0नं0 705 रकबा 9–03 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 706 रकबा 5–12 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 715 रकबा 46–17 बीघा किस्म चाही प्रथम ख0नं0 718 रकबा 38–05 बीघा किस्म चाही प्रथम, ख0नं0 702 रकबा 12–16 बीघा किस्म बरानी दोयम व सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 166 रकबा 11–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल ख0नं0 158 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में वादीगण बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन भू अभिलेख में वादी पूनाराम पुत्र भंवरलाल का त्रुटिपूर्ण नाम मनफूल पुत्र भंवरलाल एवं वादी बीजाराम पुत्र भंवरलाल का त्रुटिपूर्ण नाम बीजा पुत्र भंवरलाल सहवन से दर्ज हो गया, जो वर्तमान में भी जारी है, वादीगण का सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम पुत्र भंवरलाल तथा बीजाराम पुत्र भंवरलाल है। अतः वादी जरिये घोषणात्मक डिक्री भू–अभिलेख में अपना सही एवं वास्तविक नाम दर्ज करवानें के अधिकारी हैं।

2. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा अनुसार खातेदार भंवरलाल पुत्र बस्ताराम के फौत होनें पर वादग्रस्त आराजी में जरिये फौतदेगी नामान्तरण के मृतक भंवरलाल के वारिसान के रूप में मनफूल गणपत, छोटू देवा, सुरेश, सोभा, बीजा पि0 भंवरलाल दर्ज हुआ।

3. प्रदर्श 13 सरपंच ग्राम पंचायत काणेचा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार मनफुल एवं पूनाराम वस्तुतः एक ही आदमी है तथा मनफुल का सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम हैं। इसी प्रकार बीजा का सही एवं वास्तविक नाम बीजाराम है। प्रदर्श 01, 02, 03 जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 ग्राम निम्बोल तथा प्रदर्श–04, 05 जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 ग्राम लितरिया के अनुसार वादग्रस्त आराजी में अन्य सहखातेदारान् के साथ मनफूल गणपत, छोटू देवा, सुरेश, सोभा, बीजा पि0 भंवरलाल बतौर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–06 परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श–07 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श–08 आधार कार्ड, प्रदर्श–09 पैन कार्ड में वादी संख्या 01 का नाम पूनाराम पुत्र भंवरलाल दर्ज हैं। इसी प्रकार प्रदर्श–10ए परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श–11ए आधार कार्ड, प्रदर्श– 12ए भामाशाह कार्ड, में वादी संख्या 02 का नाम बीजाराम पुत्र भंवरलाल दर्ज हैं। वादी साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 एवं PW-2 क्रमशः वादी पूनाराम एवं बीजाराम पुत्र भंवरलाल द्वारा शपथ पत्र पर कारित कथन के अनुसार उनका वास्तविक एवं सही नाम क्रमशः पूनाराम पुत्र भंवरलाल तथा बीजाराम पुत्र भंवरलाल हैं। भू–अभिलेख में दर्ज मनफुल एवं बीजा नाम की प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण हैं। मनफुल एवं पूनाराम वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा बीजा का पूर्ण नाम बीजाराम हैं। अतः दस्तावेज में इसी अनुरूप में नाम दर्ज किया जावे।

4. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट [illegible] है कि [illegible] दस्तावेजात् से यह स्पष्ट होता हैं कि वादी पूनाराम पुत्र भंवरलाल एवं वादग्रस्त [illegible] बतौर खातेदार दर्ज मनफुल पुत्र भंवरलाल वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा खातेदार का [illegible] एवं वास्तविक नाम मनफुल न होकर पूनाराम है। इसी प्रकार वादी [illegible] का सही एवं पूर्ण नाम बीजा पुत्र भंवरलाल न होकर बीजाराम पुत्र भंवरलाल है। वादीगण का भू–अभिलेख में नाम जरिये फौतदेगी नामान्तरण के दर्ज हुआ है, जिसमें पूरी सम्भावना है कि वारिसान में से किसी का घरेलु प्रचलित या आधा अधुरा नाम भू–अभिलेख में दर्ज हो जाता है। प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

भू–अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज में खसरा संख्या 710 रकबा 25–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल ख0नं0 717 रकबा 0–01 बीघा गै0मु0 बेरा, ख0नं0 705 रकबा 9–03 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 706 रकबा 5–12 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 715 रकबा 46–17 बीघा किस्म चाही प्रथम ख0नं0 718 रकबा 38–05 बीघा किस्म चाही प्रथम, ख0नं0 702 रकबा 12–16 बीघा किस्म बरानी दोयम व सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 166 रकबा 11–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल ख0नं0 158 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी अव्वल में बतौर खातेदार दर्ज वादी पूनाराम पुत्र भंवरलाल का त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"मनफुल"*** एवं वादी बीजाराम पुत्र भंवरलाल का अपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"बीजा"*** को विलोपित करते हुये क्रमशः इनके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"पूनाराम"*** तथा ***"बीजाराम"*** दर्ज करते हुये इनके हिस्से तक वादीगण पूनाराम पुत्र भंवरलाल एवं बीजाराम पुत्र भंवरलाल को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/02/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादीगणः-	बनाम	-: प्रतिवादीगण :-
1. पूनाराम पुत्र भंवरलाल 2. बीजाराम पुत्र भंवरलाल जातियान- कुम्हार, निवासीगण- लितरिया, तहसील- जैतारण जिला- पाली(राज0)		1. तहसीलदार जैतारण जिला- पाली (राज)

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट</u> **मु0न0 :रा0वा0 स0: 91/2019**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत बलुन्दा, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होर्ने एवं सारवान होर्ने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज में खसरा संख्या 710 रकबा 25-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल ख0नं0 717 रकबा 0-01 बीघा गै0मु0 बेरा, ख0नं0 705 रकबा 9-03 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 706 रकबा 5-12 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 715 रकबा 46-17 बीघा किस्म चाही प्रथम ख0नं0 718 रकबा 38-05 बीघा किस्म चाही प्रथम, ख0नं0 702 रकबा 12-16 बीघा किस्म बरानी दोयम व सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 166 रकबा 11-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल ख0नं0 158 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी अव्वल में बतौर खातेदार दर्ज वादी पूनाराम पुत्र भंवरलाल का त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"मनफुल"*** एवं वादी बीजाराम पुत्र भंवरलाल का अपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"बीजा"*** को विलोपित करते हुये क्रमशः इनके स्थान पर खातेदार क[illegible] एवं वास्तविक नाम ***"पूनाराम"*** तथा ***"बीजाराम"*** दर्ज करते हु[illegible] पुत्र भंवरलाल एवं बीजाराम पुत्र भंवरलाल को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25/02/2021 को जारी किया गया।

माफिक

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	02	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः–	05	00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:59 IST
Reason: SelfAttested